

**राजस्थान सरकार**  
**समेकित बाल विकास सेवाएँ**

क्रमांक एफ3(25)आ.बा./मो/आईसीडीएस/ 1445-76

जयपुर, दिनांक  
12.1.10

उप निदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

विषय :- शेष रहे अतिरिक्त नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव के कम में आयोजित बैठक बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के पत्रांक प-11(3)/25/मो./म.बा.वि./05/77515 दिनांक 12.11.09 द्वारा अतिरिक्त नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की परियोजनावार स्वीकृति जारी की गयी थी। इसी क्रम में प्रथम सूची में उन ग्रामों/क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गयी। जहां पर अभी कोई आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है अथवा वह क्षेत्र समेकित बाल विकास सेवाएँ से वंचित है। आपके जिले में कुल ..... नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र .....मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये थे। प्रथम चरण में उपरोक्त स्वीकृत केन्द्रों में से ..... आंगनबाड़ी केन्द्र.....मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र ही स्वीकृत किये गये थे। शेष रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु पुनः नवीन प्रस्तावों के साथ में निम्न कार्यक्रमानुसार निदेशालय में उपस्थित होवे:-

क्र.सं.	दिनांक	जिले का नाम	संख्या
1	15.01.2010	अलवर, बाड़मेर, जयपुर, बारा, बुन्दी	5
2	18.01.2010	बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, दौसा, धौलपुर	5
3	19.01.2010	अजमेर, कोटा, उदयपुर, गंगानगर, पाली	5
4	20.01.2010	भीलवाड़ा, जालौर, डुंगरपुर, सिरोही, टोंक	5
5	21.01.2010	झालावाड़, चुरू, भरतपुर, सीकर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर	6
6	22.01.2010	बीकानेर, राजसमन्द, जैसलमेर, करोली, नागौर, झुन्झुनु	6
		योग	32

आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव एक्सल प्रोग्राम में मय सिडी/ हार्ड कॉफी को अपने साथ लावें। आंगनबाड़ी केन्द्रों के नये सिरे से प्रस्ताव तैयार करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे की कोई भी राजस्व ग्राम/ढांणी जिनकी आबादी 150 से अधिक है, वहां 0-6 आयु वर्ग के 40 से अधिक बच्चे हो, वह क्षेत्र अब आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों से वंचित नहीं रहें। उपरोक्त कार्यक्रमानुसार वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) सहित निदेशालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करावें।

*axax*

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

परियोजना का नाम ----- जिला -----

क्र. सं.	ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का नाम/बस्तिका नाम जो आई.सी. डी.एस. सेवाओं से वंचित है एवं जहाँ केन्द्र खोला जाना है।	जनसंख्या कोड	जनसंख्या वर्ष 2001			सर्वेनुसार जनसंख्या कुल	वर्तमान में संचालित केन्द्रों की संख्या	केन्द्रों की मांग (संख्या में)	विशेष विवरण	
				एससी	एसटी	अन्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1-वर्तमान में जिन ग्रामों में कलस्टर में केन्द्र स्वीकृत है, उनकी कलस्टर के रूप में ही प्रस्तुत करें। नवीन मांग में कलस्टर वाले ग्राम/टाणियों में केन्द्र प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

2-वर्तमान में संचालित/स्वीकृत सभी केन्द्रों को सूचीबद्ध करें। इस कार्य में आधारभूत सूचना/हेबिटेसन की सीडी उपयोग में ली जा सकती है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	नवीन आ.बा. केन्द्रों की मांग				विशेष विवरण
			अनु. जाति बाहुल्य क्षेत्र	अनु.जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्र	सामान्य क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	कुल केन्द्र (4 से 7)
							8

नोट:-1- कॉलम संख्या 4 से 7 में उपरोक्त क्षेत्रों में आ.बा. केन्द्र मांग का गोसवारा अंकित करें।

उप निदेशक,आईसीडीएस